

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

प्रशासन जालों के संग अभियान-2021

**-:आदेश:-**

कुं- 209  
29-11-21

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भूअ.नि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...../नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... व जिला ..... की जमाबन्दी सम्वत् ..... में खाता संख्या 36, 178, 179 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	अनीपुरा	36	शंकरलाल पुप मोहरीनाम 36	शंकरलाल पुप मोहरीनाम 36
2	-	178	शंकरलाल पुप मोहरीनाम	शंकरलाल पुप मोहरीनाम 36
3	-	179, 178, 179	शंकरलाल पुप मोहरीनाम	शंकरलाल पुप मोहरीनाम 36

( ..... )  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 876-877

दिनांक :- 29/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शुद्धि जात  
राज  
8.11.21  
29/11/21

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर